

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय आदेश

सं०सं०-11/न०वि०मा०-03/2014

128

पटना, दिनांक- ४/०९/2017

बिहार भवन उपविधि, 2014 के प्रावधानों पर हितधारकों से प्राप्त सुझावों, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रचारित Model Building Bye Laws 2016 के आलोक में बिहार भवन उपविधि, 2014 में उपान्तरण के लिए उपविधि, 88 के आलोक में भवन उपविधि समीक्षा समिति (Building Bye Laws Review Committee) का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| (i) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग   | — | अध्यक्ष |
| (ii) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम  | — | सदस्य   |
| (iii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार                      | — | सदस्य   |
| (iv) श्री हरिशंकर सिंह, सहायक निवेशक  | — | सदस्य   |
| (v) श्री कुमार सर्वानन्द, सहायक निवेशक  | — | सदस्य   |
| (vi) श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, उपनिदेशक, पटना नगर निगम                            | — | सदस्य   |
| (vii) पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि*                              | — | सदस्य   |
| (viii) Confederation of Real Estate Developers of India (CREDAI) Bihar के प्रतिनिधि | — | सदस्य   |
| (ix) Builder Association of India (Bihar) के प्रतिनिधि                              | — | सदस्य   |
| (x) Indian Institute of Architect; Bihar Chapter के प्रतिनिधि                       | — | सदस्य   |

1/9/2017  
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 11/न०वि०मा०-03/2014 816 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 4/09/2017

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी संबंधित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/2017  
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।